उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956

नियम 1 - संक्षिप्त नाम - ये नियम उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 कहलाएगें।

नियम 2 - परिभाषाएँ - जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, इन नियमों में –

(क) **सरकार** से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ख) **सरकारी सेवक** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों के सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण-इस बात के होते हुए भी, कि उस सरकारी कर्मचारी का वेतन उत्तर प्रदेश की संचित निधि से अतिरिक्त साधनों से लिया जाता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी भी, जिसकी सेवाये उत्तर प्रदेष सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को अर्पित कर दी हो, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, "परिवार का सदस्य" **के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होगें :-**

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उसके साथ रहता/रहती हो अथवा नही, और किसी सरकारी महिला कर्मचारी के संबंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त सम्बन्ध या विवाह द्वारा, उक्त सरकारी कर्मचारी कासंबंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का संबंधी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित हो किन्तु इसके अर्न्तगत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नही होगी, जो सरकारी कर्मचारी से विधित: पृथक की की गई हो। ऐसा लड़का, सौतेला लडक्रका, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नही होगा/होंगी, जो आगे के लिए, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नही है या जिसकी अभिरक्षा से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

नियम 3-सामान्य:- (1)प्रत्येक सरकारी कर्मचारी ,सभी समयों में, परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करता रहेगा।

(2)प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले विशिष्ट या अन्तनिर्हित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।

नियम 3-क कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध -

(1) कोई **सरकारी कर्मचारी** किसी महिला के कार्यस्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

(2) प्रत्येक **सरकारी कर्मचारी** जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये उपयुक्त कदम उठायेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के लिये 'यौन उत्पीड़न' में प्रत्यक्षत: या अन्यथा काम वासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि-

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोदीप्त सम्बन्धी चेष्टाएँ,

(ख) यौन स्वीकृति की माँग या प्रार्थना,

(ग) काम वासना-प्रेरित फब्तियाँ,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(ङ) यौन सम्बन्धी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।

नियम 4- सभी लोगों के साथ समान व्यवहार

(क) प्रत्येक **सरकारी कर्मचारी**, सभी लोगों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों न हों, समान व्यवहार करेगा।

(ख) कोई भी **सरकारी कर्मचारी** किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

नियम 4-क मादक पान तथा औषधि का सेवन- कोई भी **सरकारी कर्मचारी-**

(क) किसी क्षेत्र में, जहाँ वह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा औषधि सम्बन्धी प्रवृत्त किसी आदेश का दृढ़ता से पालन करेगा,

(ख) अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी मादक पान या औषधि के प्रभावाधीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी प्रकार ऐसे पेय अथवा औषधि से प्रभावित न हो,

(ग) सार्वजनिक स्थानों में किसी मादक पान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा,

(घ) मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित नहीं होगा,

(ङ) किसी भी मादकपान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या भूगृहादि (जिसके अन्तर्गत कोई सवारी भी है) से है, जहां भुगतान करके या अन्य प्रकार से जनता आ-जा सकती हो या उसे आने जाने की अनुज्ञा हो।

नियम 5 - राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना

(1) कोई **सरकारी कर्मचारी** किसी राजनैतिक दल का, या किसी ऐसी संस्था का, जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे सम्बन्ध रखेगा औरन वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: विधि् द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही हो या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती हो।

उदाहरण- राज्य में "क", "ख", "ग" राजनीतिक दल हैं।

"क" वह दल है जिसके हथ में सत्ता है और जिसने उस समय की सरकार बनाई है।

"अ" एक सरकारी कर्मचारी है।

इस उपनियम का प्रतिबन्ध "अ" पर सभी दलों के संबंध में लागू होगा, जिसमें "क" दल भी, जिसके हाथ में सत्ता है, सम्मिलित होगा।

(2) प्रत्येक **सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा** कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को, किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में, जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही है या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और, उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने, या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो वह इस आशय की रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

उदाहरण- "क" एक सरकारी कर्मचारी है।

"ख" एक "परिवार का सदस्य" है, जैसी कि उसकी परिभाषा 2(ग) में की गयी है।

"आ" वह आन्दोलन या क्रिया है, जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही है या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

"क" को विदित हो जाता है कि इस उपनियम के उपबन्धों के अन्र्तगत, "आ" के साथ "ख" का सम्र्पक आपत्तिजनक है। "क" को चाहिए कि वह "ख" के ऐसे आपत्तिजनक सम्र्पक को रोके। यदि "क" "ख" के ऐसे सम्र्पक को रोकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देनी चाहिए।

(3)यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई आन्दोलन या क्रिया इस नियम के क्षेत्र में आती है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न पर सरकार द्वारा दिया गया निण्रय अन्तिम होगा।

(4)कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में न तो पक्ष-प्रचार करेगा न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें हिस्सा लेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के लिए अपने अधिकार को प्रयोग ला सकता है, किन्तु उस दशा में जबकि वह वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया अथवा किस ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(2) केवल इस कारण से कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अन्र्तगत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके सम्बन्ध में यह नही समझा जायेगा कि उसने इस उपनियम के उपबन्धों का उल्लंधन किया है।

स्पष्टीकरण- किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपनी सवारी गाड़ी, या निवास स्थान पर, किसी चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन किया जाय तो यह समझा जायेगा कि उसने

इस उप-नियम के अथ्र के अन्र्तगत, किसी चुनाव के सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है।

उदाहरण- किसी चुनाव के सम्बन्ध में, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, प्रिजाइड़िग आफिसर, मतदान अधिकारी या मतदान लिपिक की हैसियत से काय्र करना उप-नियम (4) के उपबन्धों का उल्लंधन नही होगा।

नियम 5-क प्रदर्शन एवं हड़ताले- कोइ्र सरकारी कर्मचारी-

(1) **कोई** ऐसा प्रदर्शन नहीं करेगा अथवा किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं होगा, जो भारत की प्रभुता तथा अखण्डता के हितों, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक सुव्यवस्था, भद्रता या नैतिकता के प्रतिकूल हो अथवा जिससे न्यायालय का अवमान या मानहानि होती हों या अपराध करने के लिये उत्तेजना मिलती हो, अथवा

(2) अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी मामले के सम्बन्ध में न तो कोई हड़ताल करेंगा और न किसी प्रकार की हड़ताल करने के लिये अवप्रेरित करेंगा।

नियम 5-ख सरकारी कर्मचारियों का संघों का सदस्य बनना-

कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संघ का न तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्य-कलाप भारत की प्रभुता तथा अखण्डता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हो।

नियम 6- समाचार पत्रों अथवा रेडियो से सम्बन्ध रखना-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन का, पूर्णत: या अंशत:, स्वामी नहीं होगा, न उसका संचालन करेगा, न उसके सम्पादन या प्रबंधन में भाग लेगा।

(2)कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सद्भाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और गुमनाम से, अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, किसी समाचार पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नही लिखेगा :

(3) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृति पत्र के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नियम 7- सरकार की आलोचना

कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से या स्वंय अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख में या समाचार पत्रों को भेजे गये पत्र में, या किसी सार्वजनिक कथन में, कोई ऐसे तथ्य की बात या मत व्यक्त नहीं करेगा -

1- जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो,या उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो, या

2- जिससे उत्तर प्रदेश सरकारऔर केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो, या

3- जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई भी बात् किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किए गए किसी ऐसे कथन या विचारों के सम्बन्ध में लागू न होगी, जिन्हे उसने अपने सरकारी पद की हैसियत से या उसे सौपे गये कर्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो।

उदाहरण-(1) "क" को जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकार द्वारा नौकरी से बर्खास्त किया गया है। "ख" को, जो कि दूसरा सरकारी कर्मचारी है, इस बात की अनुमति नही है कि वह सार्वजनिक रूप से यह कहे कि दिया गया दण्ड अवैध, अत्याधिक या अन्यायपूर्ण है।

(2) कोई लोक अधिकारी स्टेशन "क" से स्टेशन "ख" को स्थानान्तरित किया गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, उक्त लोक अधिकारी को स्टेशन "क" पर ही बनाए रखने से सम्बन्धित किसी आन्दोलन में भाग नही ले सकता।

(3) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नही है कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों में सरकार की नीति की आलोचना करे, जैसे किसी वर्ष के लिए निर्धारित गन्ने का भाव, परिवहन का राष्टीयकरण , इत्यादि।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, निर्दिष्ट आयात की गई वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए कर की दर के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नही कर सकता।

(5) एक पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेष की सीमा पर स्थित किसी भू-खण्ड के सम्बन्ध में दावा करता है कि वह भू-खण्ड उसका है। कोई सरकारी कर्मचारी उक्त दावे के सम्बन्ध में, सार्वजनिक रूप से, कोई मत व्यक्त नही कर सकता है।

(6) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नही है कि वह किसी विदेशी राज्य के इस निष्चय पर कोई मत प्रदर्षित करे कि उसने उन रियायतों को समाप्त कर दिया है जिन्हे वह एक दूसरे राज्य के राष्टिको को दे देता है।

नियम 8- किसी समिति या अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य

1- उप नियम 3 में उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त, कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जाँच के सम्बन्ध में साक्ष्य नही देगा।

2- उस दशा में, जबकि उप नियम 1 के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो, कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के साक्ष्य देते समय, उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेगा।

3- इस नियम में दी हुई कोई बात, निम्नलिखित के सम्बन्ध में लागू न होगी -

क- साक्ष्य, जो प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश के विधान-मण्डल या संसद द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने दी गयी हो, या

ख- साक्ष्य, जो किसी न्यायिक जाँच में दी गई हो।

नियम 9- सूचना का अनधिकृत संचार कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौपें गये कर्तव्यों का सद्भाव के साथ पालन करते हुए, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई सरकारी लेख या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेख या सूचना देने या संचार करने का उसे अधिकार न हो, न देगा और न संचार करेगा।

स्पष्टीकरण- किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिए गए अभ्यावेदन में किसी पत्रावली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में से उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अर्न्तगत सूचना का अनधिकृत संचार माना जायेगा।

नियम 10 - चन्दे

कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, किसी ऐसे धमार्थ प्रयोजन के लिए चन्दा या कोई अन्य वित्तीय सहायता मांग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसके इकट्ठा करने में भाग ले सकता है, जिसका सम्बन्ध डाक्टरी सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो, किन्तु उसे इस बात की अनुमति नही है कि वह इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए चन्दा, आदि मांगे।

उदाहरण- कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, जनता के उपयोग के लिए कियी नलकूप के बेधन के लिए या किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण या मरम्मत के लिए, चन्दा जमा कर सकता है।

नियम 11- भेंट- कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो :-

(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट संबंधी न हो, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई भेंट अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, न ही अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी भेंट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार नही करेगा।

(ख) अपने परिवार के किसी व्यक्ति या ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो, किसी ण्ैसे व्यक्ति से जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, कोई भेट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नही देगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी जातीय मित्र से, सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दशांश या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रैतिक अवसर पर इतने मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता हैं, या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता हैं, किन्तु सभी सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों के दिए जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण- एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते है कि “क” को, जो एक सब-डिवीजनल अफसर है, बाढ़ के दौरान उसके द्वारा की गयी सेवाओं के सराहनास्वरूप एक घड़ी भेट में दी जाय, जिसका मूल्य उसके मूल वेतन के दशांस से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना “क” उक्त उपहार स्वीकार नही कर सकता है।

<u>नियम 11-क दहेज</u>

कोई भी सरकारी कर्मचारी न तो दहेज लेगा न उसके देने या लेने के लिये दुष्प्रेरित करेगा और न ही वर-वधू या वर-वधू के माता पिता या उसके संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की माँग करेगा।

नियम12- चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा भेट, इतदि का लिया जाना-इस प्रश्न से सम्बन्धित विभागीय नियमों का बाधित न करते हुए, कोई चिकित्सा पदाधिकारी अपनी व्यावसायिक सेवाओं के उपलक्ष में, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा सद्भाव से दी गई कोई ऐसी भेट, ऐसा अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करता हे जिसका मूल्य 51 रू0 **या उससे कम हो किन्तु यदि भेट आदि का मूल्य** 51 रू0 **से अधिक हो तो उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजनी होगी।**

उदाहरण-एक चिकित्सा पदाधिकारी एक कठिन आपरेशन करता है। आपरेशन सफल होता है। कृतज्ञता प्रकाश स्वरूप, रोगी उक्त चिकित्सा पदाधिकारी को 300 रू0 **के मूल्य की अंगूठी उपहार में देता है। उक्त चिकित्सा पदाधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह सरकार के पास उक्त उपहार की एक रिपोर्ट भेजे।**

<u>नियम13- रैतिक समारोहों पर खुरपा आदि का उपहारस्वरूप दिया जाना-</u> कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, किसी भवन के शिलान्यास या उद्घाटन, जैसे किसी रैतिक समारोह के अवसर पर दी गई कोई खुरपा, चाभी अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तु अपने लिये स्वीकार कर सकता है।

<u>नियम 14- सरकारी सेवक के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन</u>

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, कोई मान पत्र या विदाई पत्र नही लेगा, न कोई प्रमाण पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के संबंध में लागू न होगी, जो सारत: निजी तथा अरैतिक स्वरूप का हो, और जो किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने या स्थानान्तरण के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजित हो जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ी हो।

उदाहरण- "क", जो एक डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। "ख" जो जिले में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है, "क" के सम्मान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुए व्यक्ति आमंत्रित किये गये हों।

नियम 15- असरकारी व्यापार या नौकरी-

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी व्यापार या कार-बार में नहीं लगेगा और न ही कोई नौकरी करेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही अपने विभागाध्यक्ष

को और यदि स्वयं विभागाध्यक्ष हो तो सरकार को सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे, तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा और यदि उसने हाथ में ले लिया है तो बन्द कर देगा।

किन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा असरकारी व्यापार या असरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जायेगी।

नियम 15-क (उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली 2002)

कोई सरकारी सेवक चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के किसी परिसंकटमय कार्य में न तो नियोजित करेगा, न लगाएगा या ऐसे बच्चे से बेगार या इसी प्रकार अन्य बलात श्रम नहीं लेगा।

नियम 16- कम्पनियों का निबन्धन, उन्नयन तथा प्रबन्ध

कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के, जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन, उन्नयन या प्रबन्ध में भाग न लेगा, जो इण्डियन कम्पनी ऐक्ट 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध हुआ है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट, 1912 (ऐक्ट सं० 2, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट सं० 21, 1860) या किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

नियम 17- बीमा कारोबार

कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी को या अपने किसी अन्य संबंधी को जो या तो उस पर पूर्णत: आश्रित हो या उसके साथ निवास करता हो, उसी जिले में, जिसमें वह तैनात हो, बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा।

नियम 18- अवयस्कों का संरक्षकत्व

कोई सरकारी कर्मचारी समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, उस पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त, किसी अन्य अवयस्क (Minor) का या उसकी सम्पत्ति के विधिक संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण 1- इस नियम के प्रयोजन के लिए, आश्रित से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों और बच्चों के बच्चों से है, और इसके अर्न्तगत उसके माता पिता बहिन, भाई, भाई के बच्चे और बहिन के बच्चे भी सम्मिलित होगें, यदि वे उसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्णत: आश्रित हों।

स्पष्टीकरण 2- इस नियम के प्रयोजन के लिए, समुचित प्राधिकारी वही होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है-

विभागाध्यक्ष, डिवीजन के कमिश्नर या कलेक्टर के लिए	राज्य सरकार
जिला जज के लिए	..... उच्च न्यायालय या प्रशासकीय जज
अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए	..... संबंधित विभागाध्यक्ष

<u>नियम 19- किसी सम्बन्धी (रिश्तेदार) के विषय में कार्यवाही-</u> (1) जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में, जो उसका संबंधी हो, चाहे पह सम्बन्ध दूर का या निकट का हो, कोई प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे यह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, उक्त संबंधी के पक्ष में हो अथवा उसके विरूद्ध होए तो वह ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ, यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष उसका संबंधी है अथवा नही है और यदि वह उसका ऐसा संबंधी है, तो इस संबंध का स्वरूप क्या है।

2- जब किसी प्रवृत्त विधि के अधीन, नियम या आज्ञा के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव, मत या किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में अन्तिम निर्णय रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है और जब वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में है, जो उसका संबंधी है, चाहे वह संबंध एूर का या निकट का हो, और चाहे उस प्रस्ताव, मत या कार्यवाही का उस व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो या अन्यथा, वह काई निर्णय नहीं देगा, बल्कि वह उस मामले को अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रस्तुत कर देगा और साथ ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा सम्बन्ध के स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा।

<u>नियम 20- सट्टा लगाना</u>(1) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विनिधान में सट्टा नहीं लगाएगा।

स्पष्टीकरण- बहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सतत खरीद या बिक्री के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस नियम के अर्थ में विनिधान में सट्टा लगाता है।

(2)यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नही, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम हांगा।

<u>नियम 21- विनिवेश</u> (1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूँजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2)यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई कोई प्रतिभूति या विनिधान उपर्युक्त स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

उदाहरण- कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को, कोई सिनेमागृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नही देगा।

<u>नियम 22- उधार देना अथवा उधार लेना</u> (1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर, कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रूपया उधार नहीं देगा और न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रूपया उधार देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, किसी निजी नौकर को अग्रिम रूप से वेतन दे सकता है, या इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या सम्बन्धी) उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि रखता है, वह अपने किसी मित्र य सम्बन्धी को, बिना ब्याज के, एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है।

2- कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सरकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के

भीतर रूपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा, जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय आभार (Pecuniary obligation) के अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के जब कि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी जातीय मित्र सम्बन्धी से अपने दो माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधार लेखा चला सकता है।

3- जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्त या स्थानान्तरण पर भेजा जाय, जिसमें उसके द्वारा उप नियम-1 या उप नियम-2 के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट भेज देगा, और उसके बाद समुचित प्राधिकारी द्वारा पारित तत्संबंधी आदेशों के अनुरूप कार्य करेगा।

4- ऐसी सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो राजपत्रित अधिकारी हैं, समुचित प्राधिकारी सरकार होगी और दूसरे मामलों में, कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

<u>नियम 23- दिवालियापन एवं आभ्यासिक ऋणग्रस्तता</u>

सरकारी कर्मचारी, अपने व्यक्तिगत मामलों का ऐसा प्रबन्ध करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवालियापन से बच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसके विरूद्ध दिवालिया होने के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, चाहिए कि वह तुरन्त ही उस कार्यालय या विभागाध्यक्ष को, जिसमें वह नौकरी कर रहा हो, सब बातों की रिपोर्ट भेज दे।

<u>नियम 24- चल, अचल एवं बहुमूल्य सम्पत्ति</u> (1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वंय अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टा, रेहन, क्रय या भेट द्वारा या अन्यथा, न तो कोइ अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यवहार के लिए, जो किसी नियमित और ख्याति प्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उदाहरण-(1)"क" जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। समुचित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव की सूचना दे देनी चाहिए। यदि यह व्यवहार, किसी नियमित और ख्याति प्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाना है, तो "क" को चाहिए कि वह समचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ले। यही प्रक्रिया उस दशा में भी लागू होगी जब "क" अपना मकान बेचने का प्रस्ताव करे।

(2)कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है चाहे वह क्रय, विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए :

किन्तु प्रतिबन्ध यह कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्याति-प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नही करेगा।

(3)प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को, ,ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषण करेगा जिसका वह स्वंय स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्से की या अन्य लगी हुई पूजियों की घोषणा करेगा, जिन्हे वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर **आश्रित** उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गयी हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिए।

(4) समुचित प्राधिकारी, सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा, किसी भी समय किसी सरकारी कर्मचारी को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी चल व अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो, या अर्जित की गयी हो, और जो आज्ञा में निर्दिष्ट हों, एक सम्पूर्ण विवरण पत्र प्रस्तुत करें। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण-पत्र में, उन साधनों के या स्राम के ब्यौरे भी सम्मिलित हों, जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गयी थी।

(5)समुचित प्राधिकारी :

(क) राज्य सरकार के किसी सरकारी कर्मचारी के प्रसंग में, उपनियम (1) तथा (4) के प्रयोजनों के निमित्त, सरकार होगी और उपनियम (2) के निमित्त विभागाध्यक्ष होगा।

(ख) अन्य सरकारी कर्मचारी के प्रसंग में उपनियम (1) से (4) के प्रयोजनों के निमित्त, विभागाध्यक्ष होगा।

<u>नियम 25 - सरकारी सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन</u>

कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे सरकारी कार्य का, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो, प्रतिसमर्थन करने के लिए, किसी समाचार पत्र की शरण न लेगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के किसी बात के सम्बन्ध में यह नही समझा जायेगा कि किसी सरकारी कर्मचारी को, अपने चरित्र या उसके द्वारा निजी रूप में किये गये किसी कार्य का प्रति समर्थन करने से प्रतिषेध किया जाता है।

<u>नियम 26 –</u> विज्ञप्ति सं॰ 3110/2-**बी**-32-52, **दिनांक** 13 **अगस्त**, 1960 **द्वारा हटाया गया।**

<u>नियम 27 - असरकारी एवं अन्य बाहय प्रभाव का मतर्चन-</u> कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित अपने हितों से सम्बद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक अथवा अन्य वाहय साधनों से न तो स्वयं या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डलवाने का प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण- सरकारी कर्मचारी की, यथास्थिति पत्नी या पति या अन्य सम्बन्धी द्वारा किया गया कोई कार्य जो इस नियम की व्याप्ति के अर्न्तगत हो, जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित

न हो जाय, यह माना जायेगाकि वह कार्य सम्बन्धित कर्मचारी की प्रेरणा या मौन स्वीकृति से किया गया।

उदाहरण-"क" एक सरकारी कर्मचारी है और "ख", "क" के कुटुम्ब का एक सदस्य है, "ग" एक राजनीतिक दल है और "ग" के अन्र्तगत "घ्" एक संगठन है। "ख" ने "ग" में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली और "घ" में एक पदाधिकारी हो गया। "घ" के द्वारा "ख" ने "क" की बात का समर्थन करना प्रारम्भ किया। यहां तक कि "ख" ने "क" के उच्च अधिकारियों के विरूद्ध संकल्य प्रस्तुत किया। "ख" का यह कार्य उपर्युक्त नियम के उपबन्धों का उल्लंधन होगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह "क" की प्रेरणा या उसकी मौन स्वीकृति से किया गया है, जब तक कि "क" यी न प्रमाणित कर दे कि ऐसा नही था।

<u>नियम 27-क सरकारी सेवकों द्वारा अभ्यावेदन</u>- कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हे सरकार समय-समय पर जारी करे, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा। नियम 27 का स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा।

<u>नियम 28 - अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्थाएँ</u>

कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई ऐसी वित्तीय व्यवस्था नहीं करेगा जिसमें दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही अनाधिकृत रूप में या तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के विशिष्ट या अन्र्तनिहित उपबन्धों के प्रतिकूल किसी प्रकार का लाभ हो।

उदाहरण- (1) "क" किसी कार्यालय में एक सीनियर क्लर्क है, और स्थानापन्न रूप में पदोन्नति पाने का अधिकारी है। "क" को इस बात का भरोसा नही है कि वह उस स्थानापन्न पद के अपने कर्तव्यों का संतोषजनक रूप से निर्वहन कर सकता है। "ख" जो एक जूनियर क्लर्क है कुछ वित्तीय प्रतिफल को दृष्टि में रखकर "" को निजी तौर पर मदद देने को तैयार होता है। तद्नुसार "क" और "ख" वित्तीय व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार दोनो ही नियम तोड़ते हैं।

(2)यदि क, जो किसी कार्यालय का अधीक्षक है, छुट्टी पर जाय, तो ख, जो कार्यालय का सबसे सीनियर असिस्टेन्ट है, स्थानापन्न रूप से कार्य करने का अवसर पा जायेगा। यदि क, ख के साथ, स्थानापन्न भत्ते में एक हिस्सा लेने की व्यवस्था करने के पश्चात छुट्टी पर जाय, तो क और ख दोनों ही नियम भ्रग करेंगे।

<u>नियम 29 - बहु-विवाह</u>

1. कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, इस बात के होते हुए भी कि तत्समय उस पर लागू किसी वैयक्तिक विधि के अधीन उसे इस प्रकार की बाद की दूसरी शादी की अनुमति प्राप्त है, सरकार की अनुमति प्राप्त किये बगैर, दूसरा विवाह नहीं करेगा।
2. कोई महिला सरकारी कर्मचारी, सरकार की अनुमति प्राप्त किये बगैर, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी एक पत्नी जीवित हो, विवाह नहीं करेगी।

<u>नियम 30 - सुख सुविधाओं का समुचित उपयोग</u>

कोई सरकारी कर्मचारी, ऐसी सुख सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही उनका असावधानी के साथ प्रयोग करेगा, जिनकी व्यवस्था सरकार ने उसके सरकारी कर्तव्यों के पालन में उसे सुविधा पहुँचाने के प्रयोजन से की हो।

उदाहरण- सरकारी कर्मचारियों के निमित्त जिन सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है उनमें मोटर, टेलीफोन, निवास-स्थान, फर्नीचर, अर्दली, लेखन-सामग्री आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। इन वस्तुओं के कुप्रयोग या उनके असावधानी के साथ प्रयोग किये जाने के उदाहरण ये हैं-

(1) सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों या उसके अतिथियों द्वारा, सरकारी व्यय पर, सरकारी मोटरों का प्रयोग करना या अन्य असरकारी कार्य के लिये उनका प्रयोग करना,

(2) ऐसे मामलों के बारे में, जिनका सम्बन्ध सरकारी कार्य से नही है, सरकारी व्यय पर, टेलीफोन, ट्रंककाल करना,

(3) सरकारी निवास-स्थानों और फर्नीचर के प्रति असावधानी बरतना तथा उन्हे ठीक दशा में बनाये नही रखना, और

(4) असरकारी कार्य के लिये सरकारी लेखन-सामग्री का प्रयोग करना।

<u>नियम 31 – खरीददारियों के लिये मूल्य देना</u>

कोई सरकारी कर्मचारी, उस समय तक जब तककिश्तों में मूल्य देना प्रथानुसार या विशेष रूप से उपबन्धित न हो या जब तक किसी सद्भावी व्यापारी के पास उसका उधार-लेखा न खुला हो, उन वस्तुओं का, जिसे उसने खरीदा, चाहे ये खरीददारियाँ उसने दौरे पर या अन्यथा की हों, तुरंत पूर्ण मूल्य देने से मना नहीं करेगा।

<u>नियम 32 - बिना मूल्य दिए सेवाओं का उपयोग करना</u>

कोई सरकारी कर्मचारी, बिना यथेचित और पर्याप्त मूल्य दिये, किसी ऐसी सेवा अथवा आमोद का स्वयं प्रयोग नहीं करेगा जिसके लिये कोई किराया या मूल्य या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।

उदाहरण- जब तक ऐसा करना कर्तव्य के एक अंश के तौर पर निर्दिष्ट रूप से निर्धारित न किया गया हो, कोई सरकारी कर्मचारी

(1) किसी भी किराये पर चलने वाली गाड़ी में बिना मूल्य दिये यात्रा नही करेगा,

(2) बिना प्रवेश शल्क दिये सिनेमा नही देखेगा।

<u>नियम 33 - दूसरों के गैर सरकारी वाहन का उपभोग</u>- कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय बहुत ही विशेष परिस्थितियों के होने की दशा में, किसी ऐसी सवारी गाड़ी को प्रयोग में नहीं लाएगा जो किसी असरकारी व्यक्ति की हो या किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की हो जो उसके अधीन हो।

<u>नियम 34 – अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिये खरीददारियां-</u>

कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी से, जो उसके अधीन हो, अपनी ओर से या अपनी पत्नी या अपने परिवार के अन्य सदस्य की ओर से, चाहे अग्रिम भुगतान करने पर या अन्यथा, उसी शहर में या किसी दूसरे शहर में, खरीददारियां करने के लिए न तो स्वयं कहेगा और न अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी ऐसे अन्य सदस्य को, जो उसके साथ रह रहा हो, कहने की अनुमति देगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम उन खरीददारियों पर लागू नही होगा जिन्हे करने के लिए सरकारी कर्मचारी से सम्बद्ध निम्नकोटि के कर्मचारी वर्ग से कहा जाय।

उदाहरण- “क” एक डिप्टी कलेक्टर है।

“ख” उक्त डिप्टी कलेक्टर के अधीन तहसीलदार है।

“क” को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को इस बात की अनुमति न दे कि वह “ख” से कहे कि वह उसके लिये कपड़ा खरीदवा दे।

नियम 35 - निर्वचन

यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठ खड़ा हो, तो उसे सरकार के पास भेज देना चाहिए और उस पर सरकार का जो भी निर्णय होगा, वह अंतिम होगा।

नियम 36 - निरसन एवं अपवाद

इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी थे एवं जो उत्तर प्रदेश के नियंत्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते थे, एतदद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के अधीन जारी हुए किसी आदेश या की गइ्र किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या काय्रवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किया गया था या की गयी थी।